अनुमोदन हेतु प्रारूप
कृषि निदेशालय, बिहार।

पत्र संख्या :–07 / ले0 स्था0 राजस्व–02 / 2018 दिनांक 2018

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त निदेशक,
नियंत्रक माप तौल

विषय :– **बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कर्या संचालन नियमावली में सन्निहित आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की नियमावली में संशोधन के संबंध में।**

प्रसंगः– वित्त विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 9168 दि०–14.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के क्रम में कहना है कि विभाग में राजस्व संग्रह के स्त्रोत और इनका विस्तार किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, के संबंध में बिहार विधान सभा सचिवालय एवं वित्त विभाग को समेकित जानकारी / प्रतिवेदन दिया जाना है। उक्त के संबंध में दिनांक 08.01.2019 को 11 बजे पूर्वाहन् कृषि निदेशक के कक्ष में बैठक आहूत की गई हैं।

अतः अनुरोध है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में सम्मिलित होने की कृपा की जाय।

अनलग्नक :– प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति

विश्वासभाजन

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 08 **दिनांक :–** 02-01-19

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर कृषि विभाग को अनुलग्नक सहित विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

661
21/12/18

सं०स०-13 आयो०/आर०ई०एस०-05/2018..........9168..वि०

(1)

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

8914
17 DEC 2018

पंकज कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग (वाणिज्य-कर/योजना एवं विकास/
खान एवं भूतत्व विभाग को छोड़कर)

दिनांक-....14-12-18....

विषयः- **बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में सन्निहित आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति की नियमावली में संशोधन के संबंध में ।**

प्रसंगः- **बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक-9432 दिनांक-22.10.2018 तथा वित्त विभागीय पत्रांक-7993 दिनांक-29.10.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध मे कहना है कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में सन्निहित आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति की नियमावली संशोधन का प्रस्ताव नियम समिति की उप समिति के विचाराधीन है । नियम समिति की उप समिति के द्वारा आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति के संबंध में माँगी गयी जानकारी के अनुसार आपके विभाग में राजस्व संग्रह के कौन-कौन से स्रोत हैं और इनका विस्तार किन-किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, के बारे में समेकित जानकारी तैयार कर बिहार विधान सभा सचिवालय को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति अद्योहस्ताक्षरी को दिनांक-29.10.2018 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था परन्तु अबतक आपके विभाग से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अनुरोध है कि इसे अत्यावश्यक समझते हुए समेकित प्रतिवेदन दिनांक-20.12.2018 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि वित्त विभाग के स्तर पर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर विधान सभा सचिवालय को ससमय प्रेषित किया जा सके।

विश्वासभाजन

14/12/18
(पंकज कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

Sec-13/Draft Sec-13/263